अनुदान संख्या 18 – संस्कृति मंत्रालय
GRANT No. 18 - MINISTRY OF CULTURE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2764,28,00		2764,34,00	2507,35,43	-256,98,57
पूरक	Supplementary	6,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					233,88,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	79,04,00		255,37,00	94,83,08	-160,53,92
पूरक	Supplementary	176,33,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,13,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2205"	Major Head "2205"				
कला और संस्कृति	Art and Culture				
मू.	O.	254458.00	248804.47	246762.54	-2041.93
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	-5656.53			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	17550.00				
पू.	S.	3.00		181.22	..	-181.22
पु.	R.	-17371.78				

(I) ₹18030.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹17026.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(का) "कला और संस्कृति – कला और संस्कृति का संवर्धन" –

(क) "कला संस्कृति विकास योजना" – ₹3855.00 लाख;

(ख) "स्वायत्त निकाय और अनुदायी निकाय" – ₹8611.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

(खा) "कला और संस्कृति – सार्वजनिक पुस्तकालय" –

(क) "पुस्तकालय और अभिलेखागार का विकास" – ₹551.00 लाख;

(ख) "स्वायत्त निकाय" – ₹665.00 लाख;

(गा) "कला और संस्कृति – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – प्राचीन स्मारकों का संरक्षण" – ₹718.00 लाख;

(घा) "कला और संस्कृति – संग्रहालय" –

(I) Provision of ₹18030.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019) remained wholly unutilised under nineteen heads; of these ₹17026.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Art and Culture - Promotion of Art and Culture"-

(a) "Kala Sanskriti Vikas Yojana" - ₹3855.00 lakhs;

(b) "Autonomous Bodies and Grantee Bodies"- ₹8611.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(B) "Art and Culture - Public Libraries"-

(a) "Development of Libraries and Archives"- ₹551.00 lakhs;

(b) "Autonomous Bodies"- ₹665.00 lakhs;

(C) "Art and Culture - Archeological Survey of India - Conservation of Ancient Monuments"- ₹718.00 lakhs;

(D) "Art and Culture - Museums"-

(क) "संग्रहालय का विकास" – ₹1800.00 लाख; और

(ख) "स्वायत्त निकाय" – ₹826.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2205" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "कला और संस्कृति का संवर्धन–कला संस्कृति विकास योजना" – ₹5836.94 लाख की बचत (जुलाई 2018 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹21431.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय डांडी मेमोरियल परियोजना के निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता, स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "सार्वजनिक पुस्तकालय" –

(क) "पुस्तकालय और अभिलेखागार – राष्ट्रीय अभिलेखागार" – ₹641.28 लाख की बचत (₹3994.78 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पुस्तकालय और अभिलेखागार – राष्ट्रीय पुस्तकालय" – ₹570.45 लाख की बचत (₹5407.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने, कम प्रशासनिक खर्चे होने, निविदाओं को मूर्त रूप न दिए जाने और

(a) "Development of Museums"- ₹1800.00 lakhs; and

(b) "Autonomous Bodies" - ₹826.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2205" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Promotion of Art and Culture - Kala Sanskriti Vikas Yojana" - saving of ₹5836.94 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹21431.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in July, 2018) was due to requirement of less funds towards construction of National Dandi Memorial Project, non-finalisation of schemes and receipt of less proposals from the implementing agencies.

(B) "Public Libraries"-

(a) "Libraries and Archives - National Archives of India"- saving of ₹641.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3994.78 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less receipt of viable proposals, less tour undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Library and Archives - National Library"- saving of ₹570.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5407.50 lakhs) was due to receipt of less claims, less tours undertaken, less administrative expenses,

कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

non-materialisation of tenders and receipt of less proposals from the implementing agencies

(ग) "पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास" – ₹5743.40 लाख की बचत (₹8280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, पुस्तकों के चयन के लिए औपचारिकताएं पूरी न होने तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के होने के कारण हुई।

(c) "Development of Libraries and Archives"- saving of ₹5743.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8280.00 lakhs) was due to non-finalisation of projects/ proposals, non-completion of formalities for selection of books and availability of unspent balances of previous years.

(गा) "पुरातत्व सर्वेक्षण – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशालय" – ₹551.77 लाख की बचत (₹39042.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के फील्ड कार्यालयों से कम निधियों की अपेक्षा होने और कम बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(C) "Archaeological Survey - Directorate of Archeological Survey of India" - saving of ₹551.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39042.01 lakhs) was due to less tours undertaken, requirement of less funds from fields offices of Archaeological Survey of India and holding of less meetings and events.

(घा) "संग्रहालय – संग्रहालयों का विकास" – ₹1142.14 लाख की बचत (जुलाई 2018 में प्राप्त ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7258.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कला वस्तुओं, कलाकृतियों तथा चित्रकलाओं की अधिप्राप्ति के लिए कला क्रय समिति बनाने में विलंब होने के कारण हुई।

(D) "Museums - Development of Museums"- saving of ₹1142.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7258.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh obtained in July, 2018) was due to delay in constituting Art Purchase Committee for procurement of art objects, artifacts and paintings.

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(क) "कला संस्कृति विकास योजना" – ₹2084.19 लाख की बचत (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Kala Sanskriti Vikas Yojana" - saving of ₹2084.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs); and

(ख) "पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास" – ₹850.00 लाख की बचत (₹1050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Development of Libraries and Archives"- saving of ₹850.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1050.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(ग) "संग्रहालयों का विकास" – ₹1349.28 लाख की बचत (₹1540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Development of Museums" - saving of ₹1349.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1540.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(चा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – कला संस्कृति विकास योजना" – ₹569.53 लाख की बचत (₹914.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(F) "Tribal Area Sub-Plan - Kala Sanskriti Vikas Yojana"- saving of ₹569.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹914.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/applications from the implementing agencies.

(छा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – वैश्विक जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" – ₹2509.51 लाख की बचत (₹4521.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने तथा कम संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(G) "International Co-operation - Global Engagement and International Co-operation" - saving of ₹2509.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4521.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/applications from the implementing agencies, less tours undertaken and conduction of less events.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹610.78 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 31 प्रतिशत थीः–

(III) Under two heads savings of ₹610.78 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 15 percent and 31 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹14601.19 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि मुख्य शीर्ष "2205" – के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

2.(I) The above savings were partly (₹14601.19 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 under Major Head "2205" - under the following heads:-

(का) "कला और संस्कृति का संवर्द्धन" –

(क) "शताब्दी तथा वार्षिक महोत्सव" – ₹6658.13 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6167.87 लाख था।

(ख) "स्वायत्त निकाय और अनुदेयी निकाय" – ₹5598.23 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5585.97 लाख था।

(A) "Promotion of Art and Culture"-

(a) "Centenary and Anniversary Celebrations"- ₹6658.13 lakhs. Actual excess, however, was ₹6167.87 lakhs.

(b) "Autonomous Bodies and Grantee Bodies"- ₹5598.23 lakhs. Actual excess, however, was ₹5585.97 lakhs.

(खा) "सार्वजनिक पुस्तकालय – स्वायत्त निकाय और अनुदेयी निकाय" – ₹901.57 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹881.34 लाख था।

(B) "Public Libraries - Autonomous Bodies and Grantee Bodies" - ₹901.57 lakhs. Actual excess, however, was ₹881.34 lakhs.

(गा) "संग्रहालय – स्वायत्त निकाय और अनुदेयी निकाय" – ₹1443.26 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1510.54 लाख था।

(C) "Museums - Autonomous Bodies and Grantee Bodies" - ₹1443.26 lakhs. Actual excess, however, was ₹1510.54 lakhs.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹940.93 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक, परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत और 49 प्रतिशत था।

(II) Under two heads, excess of ₹940.93 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs, but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 22 percent and 49 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹16053.92 लाख) जुलाई, 2018 तथा दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹17633.00 लाख के पूरक अनुदान का 91 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹16053.92 lakhs) constituted 91 percent of the supplementary grants of ₹17633.00 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018 and 63 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	7904.00			
पू.	S.	17633.00	25424.00	9483.08	-15940.92
पु.	R.	-113.00			

(I) "कला और संस्कृति – संग्रहालय – संग्रहालय – राष्ट्रीय संग्रहालय" के अंतर्गत – ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹633.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1133.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹800.97 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान भवन के निर्माण कार्य

(I) Under "Art and Culture - Museums-Museums - National Museum"- the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹1133.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹633.00 lakhs. However, there was a saving of ₹800.97 lakhs (including supplementary grant) - due to slow pace of

की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(II) "कला और संस्कृति" – के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(का) "संग्रहालय – संग्रहालयों का विकास" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹15000.00 लाख की निधियां प्राप्त की गईं थीं जो, तथापि, परियोजना के पूरा न होने, निर्माण कार्य के आरंभिक चरण में होने के कारण ₹14415.53 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(खा) "अन्य व्यय – कला संस्कृति विकास योजना" – ₹2200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4200.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दांडी स्मारक के निर्माण की धीमी प्रगति के कारण ₹500.09 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) "कला तथा संस्कृति – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – संबद्ध कार्यालय" – के अंतर्गत ₹521.55 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंडित दीन दयाल पुरातत्व संस्थान के खर्चे स्मारक शीर्ष से पूरा किए जाने के निर्णय की वजह से कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत ₹474.37 लाख के अधिक व्यय से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 119 प्रतिशत था।

work towards construction of National Museum Institute Building by Central Public Works Department.

(II) Supplementary grant obtained under "Art and Culture" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Museums - Development of Museums" - funds of ₹15000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹14415.53 lakhs - due to non-completion of the project, construction work being in initial stage.

(B) "Other Expenditure - Kala Sanskriti Vikas Yojana" - the original provision of ₹2200.00 lakhs was augmented to ₹4200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹500.09 lakhs - due to slow pace of work towards construction of Dandi Memorial by Central Public Works Department.

(III) Under "Art and Culture - Archaeological Survey of India - Attached Office"- saving of ₹521.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to requirement of less funds owing to decision to meet the expenses of Pandit Deen Dayal Institute of Archaeology from the Commemoration Head.

4. The above savings was partly offset by an excess of ₹474.37 lakhs under one head constituting 119 percent of the sanctioned provision.